KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO:- 6301/8359

Block/Sector: 63

Plot/House:-<u>NAZUL P.NO.2 PART H.NO.63/3 PART</u> SCHEME-: <u>NON SCHEME</u> Permit Date:- <u>22/08/2012</u> Application Date:-<u>17 /04 /2006</u>

Permit No:- 75/BHAWAN/2006-07

Area (Place) HARBANS MOHAL

Land Usage:- COMMERCIAL

Applicant's Name- SMT. SHAKUNTLA SAHINI

PresentAdresss-63/3, HARBANS MOHAL, KANPUR

Sanction vide order dated: 01/08/2012 V.C. build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Vaild for five years the date of sanction for fresh map/ one year in Case Of renewal.

Authorised Signatory अग्रिमेष शिवपुरी नगर नियोजक (भवन)

Copy to:- Officer inchare (Enforcement)alonghwith sanctioned copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्त

- 1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/ग्रेह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भॉति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता 吉1
- यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
- किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा 3. आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यो के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
- अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
- 5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहां पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये
 - गये।
- रेनवाटर हार्वेस्टिंग वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
- निर्माण भूकम्परोधी करना होगा। 7.
- पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होगे। एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा। 8.
- उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15–ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगां
- 10. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदार आवेदक की होगी।
- 11. मानचित्र में दर्शित प्रस्तावित रोड विस्तार भूमि स्थल पर रोड हेतु रिक्त रखनी होगी।
- 12. मानचित्र में बेसमेंट तल एवं भूतल (स्टिल्ट) पार्किंग हेतु प्राविधानित पार्किंग से भिन्न प्रयोग करने पर मानचित्र ्रकी स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 13. मानचित्र का उपयोग व्यवसायिक के रूप में ही किया जायेगा अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 14. किसी भी शर्ते का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः अस्वीकृत समझा जायेगा।

Authorised Signatory आशाष शिवपुरीं नगर नियोजक (মৰন) /